शीर्ष प्राथमिकता
संख्या–237/63/XXXV-1/2021

SAO ...-1
16/04/22
आवश्यक
श्री ...
16/4/22

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव, मा0 मुख्यमंत्री,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

01–समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव(प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

02–निदेशक,
आई0टी0डी0ए0,
आई0टी0पार्क, सहस्रधारा रोड,
उत्तराखण्ड।

मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–01

देहरादूनः दिनांक 08 अप्रैल, 2022।

विषय– सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल 1905 एवं मुख्यमंत्री लैटर मॉनीटरिंग पैकेज में दर्ज होने वाले पत्रों/संदर्भों के ऑनलाइन निष्पादन के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी को विभिन्न माध्यमों यथा– दिवस अधिकारी, जनता दर्शन/जनता दरबार/ मुख्यमंत्री आवास/उत्तराखण्ड सचिवालय आदि से, समय–समय पर प्राप्त होने वाले अथवा मा0 मुख्यमंत्री जी को संबोधित एवं मुख्यमंत्री कार्यालय को जनसामान्य एवं महानुभावों से प्राप्त होने वाले संदर्भों/पत्रों पर त्वरित कार्यवाही की जानी अपेक्षित है। इस हेतु सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल 1905 एवं मुख्यमंत्री लैटर मॉनीटरिंग पैकेज को एकीकृत (Integrate) कर उपरोक्त वर्णित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले पत्रों/संदर्भों का ऑनलाइन निष्पादन किये जाने का निर्णय हुआ है। इस संबंध में सम्यक विचारोपरांत निम्नलिखित दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैः–

(01) मा0 मुख्यमंत्री जी को संबोधित अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय को उपरोक्त वर्णित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त पत्रों को मुख्यमंत्री लैटर मॉनीटरिंग पैकेज/सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल 1905 पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा अपलोड किया जायेगा। तदोपरान्त सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (I.T.D.A.) द्वारा सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल 1905 से ऐसे पत्रों को संबंधित विभागों को संदर्भित किया जाएगा जिसके उपरांत संबंधित विभाग उक्त पत्रों/संदर्भों पर अपने स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही करेंगे तथा कृत कार्यवाही की स्थिति (Status) संबंधित विभाग द्वारा उक्त पोर्टल पर ही अपलोड की जायेगी।

(02) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) (L-4 स्तर के अधिकारी), विभागाध्यक्ष अथवा इस हेतु जो भी अधिकारी सक्षम अधिकारी नियत हैं, निर्धारित समय के भीतर उक्त पत्रों/संदर्भों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों (L-3, L-2, L-1) जिनके स्तर से भी कार्यवाही अपेक्षित हो, को अग्रसारित करेंगे तथा संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित कार्यवाही कर कृत कार्यवाही की आख्या/रिपोर्ट/स्टेटस उक्त पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

क्रमशः पृष्ठ 02

(03) सी0एम0 हैल्पलाइन पोर्टल 1905 के अंतर्गत प्राप्त होने वाली शिकायतों का निस्तारण पूर्ववत् संपन्न किया जाता रहेगा। पत्रों के प्रेषण/संचरण की उक्त अधोगामी व्यवस्था (L-4 से L-3, L-3 से L-2, L-2 से L-1) मात्र मा0 मुख्यममंत्री जी को विभिन्न माध्यमों यथा– दिवस अधिकारी/जनता दर्शन/जनता दरबार/ मुख्यमंत्री आवास/उत्तराखण्ड सचिवालय आदि से मुख्यमंत्री कार्यालय को प्राप्त होने वाले पत्रों/संदर्भों के संबंध में की जा रही है, अन्य व्यवस्थाएं पूर्ववत् रहेंगी। सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल 1905 का संचालन पूर्ववत् सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (I.T.D.A.) द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(04) मा0 मुख्यमंत्री जी को प्राप्त होने वाले समस्त पत्रों पर आवेदनकर्ता/प्रेषक का सक्रिय (Active) मोबाइल नंबर अंकित होना अनिवार्य है, ताकि आवेदक/प्रेषक अपने पत्र पर हो रही कार्यवाही की जानकारी से Update रह सके। सर्वसाधारण में इस आशय का व्यापक प्रचार–प्रसार संचार के प्रत्येक माध्यम से करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(05) पूर्व व्यवस्था के अंतर्गत आवेदक को पृथक से पावति (Acknowledgement) प्रेषित की जाती थी, किंतु नवीन व्यवस्था में आवेदक/प्रेषक को उसके मोबाइल नंबर पर पावति सहित एक लिंक (Link) एस0एम0एस0 (S.M.S.) के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा, जिस पर क्लिक कर आवेदक/प्रेषक अपने पत्र/संदर्भ की अद्यतन स्थिति (Current Status) ज्ञात कर सकेगा।

(06) मुख्यमंत्री लैटर मॉनीटरिंग पैकेज/सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल 1905 पर दर्ज समस्त पत्रों/संदर्भों के निस्तारण की प्रगति की पाक्षिक एवं मासिक समीक्षा की जायेगी। अतः प्रत्येक विभाग/कार्यालय के स्तर से उक्त संदर्भों/पत्रों के त्वरित निस्तारण एवं प्रत्येक स्तर की कृत कार्यवाही से उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता को अवगत कराया जाना अपेक्षित है।

(07) इस संबंध में किसी भी सहायता के लिए **अनुसचिव, मुख्यमंत्री, श्री देवेन्द्र सिंह चौहान, मोबाइल नंबर 9927699130 एवं श्री चिरंजी लाल, मोबाइल नंबर 9927699157 तथा तकनीकी सहायता हेतु श्री नलिन थपिलयाल, प्रोजेक्ट मैनेजर, सूचना प्रौद्योगिकी विकास अभिकरण (I.T.D.A.), मोबाइल नंबर 941243981** से संपर्क किया जा सकता है।

02– अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ 03

संख्या –231 /63 /XXXV-1/2021 , तद्दिनांकित

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड।

02– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

03– निजी सचिव, सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।

04– मंडलायुक्त (कुमायूँ/गढवाल)।

05– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

06– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।

07– एस0आई0ओ0, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड राज्य इकाई, सचिव परिसर, देहरादून।

08– समस्त दिवस अधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री।

09– समस्त विशेष कार्याधिकारी/ जनसंपर्क अधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री।

10– गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)

उप सचिव।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग

"नियोजन–।" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd E-mail: eicpwduk@nic.in

पत्रांक– 230 /131 याता0'क'/2022 (CNo-24104) दिनांक– 18.04.2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

Mail

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष महोदय, लो0नि0वि0 देहरादून के संज्ञानार्थ।
2. मुख्य अभियन्ता, अधिष्ठान/नियोजन विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून।
3. समस्त वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता सिविल/रा0मा0/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0 वाई0 लो0नि0वि0, ...।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता सिविल/रा0मा0/वि0यॉ0/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0 वृत्त लो0नि0वि0............................।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता सिविल/रा0मा0/वि0यॉ0/ए0डी0बी0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0 वाई0 लो0नि0वि0....................................।
7. समस्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून।
8. समस्त वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकरी/प्रशासनिक अधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय लोक निर्माण विभाग देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
10. इं0 के0एस0 असवाल, स्टॉफ ऑफिसर, सी0एम0 हेल्पलाईन विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0 देहरादून।
11. इं0 मनोज कुमार बिष्ट, अधिशासी अभियन्ता, विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. इं0 छवि सैनी, सहायक अभियन्ता, सी0एम0 हैल्पलाईन पोर्टल पर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

18.04.2022

मुख्य अभियन्ता (मु)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

लो0 नि0 वि0 उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड शासन
मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग–01,
संख्या–238/63/XXXV-1/2022
देहरादून : दिनांक 08 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

मा0 मुख्यमंत्री जी को संबोधित जनसामान्य /महानुभावों (V.I.P.) के पत्रों/संदर्भों का ऑनलाइन संचालन व निष्पादन तथा ऐसे पत्रों/संदर्भों पर संबंधित विभागों द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी प्रगति से संबंधित नागरिक/महानुभाव को ऑनलाइन अवगत कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

02– मा0 मुख्यमंत्री जी को संबोधित नागरिकों/महानुभावों के विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले ऐसे समस्त पत्रों/संदर्भों पर आवेदनकर्ता/प्रेषक का सक्रिय (Active) मोबाइल नंबर अंकित होना अनिवार्य है, ताकि संबंधित विभागों द्वारा आवेदक/प्रेषक के मोबाइल नंबर पर पावति सहित एक लिंक (Link) एस0एम0एस0 (S.M.S.) के माध्यम से प्रेषित किया जा सके, जिस पर क्लिक (Click) कर आवेदक/प्रेषक अपने पत्र पर कार्यवाही की अद्यतन स्थिति (Current Status) ज्ञात कर सके। अतः उक्त सूचना जनसाधारण के सूचनार्थ व्यापक प्रचार–प्रसार के आशय से संचार के प्रत्येक माध्यम से प्रकाशित एवं प्रसारित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

03– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी) एवं विभागाध्यक्षों से अपेक्षित है कि राज्य के प्रत्येक कार्यालय (जिसमें मुख्यमंत्री आवास/कार्यालय/विधानसभा कार्यालय/सचिवालय एवं अन्य अधीनस्थ सभी कार्यालय सम्मिलित है) में एतद् संबंधी सूचना चस्पा की जाय तथा अधीनस्थ अधिकारियों को भी इस आशय के निर्देश अपने–अपने स्तर से पृथक से भी निर्गत किएं जाएं।

04– मा0 मुख्यमंत्री जी को संबोधित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले पत्रों/संदर्भों के ऑनलाइन निष्पादन की व्यवस्था के संबंध में दिशा–निर्देश पत्रांक237/63/XXXV-1/2022 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा पृथक से निर्गत किए गए है।

(शैलेश बगौली)
सचिव।

क्रमशः पृष्ठ–02

पत्रांकः–238/63/XXXV-1/2022, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
02. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी), उत्तराखण्ड शासन।
03. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
04. मंडलायुक्त (कुमायूँ/गढवाल), उत्तराखण्ड।
05. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
06. महानिदेशक सूचना, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को राज्य के अंतर्गत प्रकाशित होने वाले समस्त राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचार पत्रों/पत्रिकाओं एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया संबंधी विभिन्न प्रसार माध्यमों से प्रकाशित/प्रसारित कर उक्त सूचना का जनसामान्य में वृहद प्रचार–प्रसार कराना सुनिश्चित करें।
07. निदेशक, आई0टी0डी0ए0।
08. निदेशक, एन0आई0सी0 को इस अधिसूचना की प्रति जनसाधारण में प्रचार–प्रसार/सूचनार्थ इंटरनेट पर अपलोड किये जाने के आशय से प्रेषित।
09. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को सर्वसाधारण के सूचनार्थ राजकीय गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल जोशी)
उप सचिव।